

2-2110

143/231/17
23/11/17



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक कुमार निवारी 2. वर्तमान धारित पद सुपरवाइजर (वि. नि. गृह)
3. वर्तमान वेतन 13100 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2017 निधान सभा

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① म.प्र. जिलारीवा में स्थित है।	20x40=800 वर्ग फुट (सेवा में आने के पूर्व) 4 कमरे हैं।		6,00,000 अनुमानित	स्वयं के नाम स्वयं का परिवार उपयोग कर रहा है।	1991-1992 में लाल सिंह सभान रीवा में नेहरू नगर रीवा में स्थित है।	कुछ नहीं	X
② म.प्र. जिलारीवा में स्थित है।	40x70=2800 वर्ग फुट मकान है। भाई के नाम 1/3 हिस्सा है।		10,00,000 अनुमानित	J.L. शर्मा बड़े भाई के नाम में मकान है। तीन भाई 1/3 हिस्सा है।	1980-1981 में सानी लाल शर्मा से खरीदा गया है। हीरालाल शर्मा की उरद रीवा स्थित है।	माता जी स्वयं भाई का परिवार रहेगा है।	X
③ म.प्र. जिलारीवा स्थित है।	40x70=2800 वर्ग फुट मकान है। फिरोज मकान में सेना में स्थित है।	40x70=2800 वर्ग फुट मकान है। (सेवा में आने के पूर्व)	3,00,000	स्वयं के नाम (सेवा में आने के पूर्व)	1981-1982 में सानी लाल शर्मा हीरालाल शर्मा की उरद में स्थित है। पिता जी द्वारा खरीदा गया है।	पट्टा है। मकान टिनारेगन्ना पानी भरा है।	X
④ म.प्र. मुंबई शहर में स्थित है।	पेन्सिल क्वल्ला मकान मिट्टी से बना है। 4 कमरे बने हैं।	लगभग 6 एकड़ प्लॉट (जमीन है)	6 लाख 5 हजार रुपये अनुमानित है।	स्वयं के नाम से अभी 2013 में पेन्सिल प्राप्त हुई है। (जमीन)	पेन्सिल क्वल्ला मकान 4 कमरे पेन्सिल जमीन	परिवार के खेती उत्पादन है।	X

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम अशोक कुमार निवारी
पद सुपरवाइजर (वि. नि. गृह)
सदस्य - निधान सभा शा. वि. म. प्र.
निधान सभा